भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1147
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल देखरेख केंद्र

1147. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के आठ राज्यों में मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यशील बाल देखरेख केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस हेतु उपयोग किए गए धन का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या शिक्षा/कौशल पूरा करने के बाद ऐसे कमजोर बच्चों के रोजगार के लिए मंत्रालय के पास कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना, प्रबंधन और निगरानी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की जाती है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान अपनी देखरेख में बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। नियम 37 में यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान को बच्चे की आयु, योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुकूल लाभप्रद व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान करनी होगी, ताकि रोज़गार क्षमता को बढ़ाया जा सके और जहां लागू हो, प्रमाणन प्राप्त किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और मिशन वात्सल्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर

चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत आठ पूर्वोत्तर राज्यों में समर्थित बाल देखरेख संस्थानों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल देखरेख केंद्र' के संबंध में डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा द्वारा दिनांक 24.07.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1147 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 'मिशन वात्सल्य' योजना के तहत सहायता-प्राप्त बाल देखरेख संस्थानों का राज्य-वार विवरण।

क्र.सं.	राज्य	कुल बाल देखरेख संस्थाएं
1	अरुणाचल प्रदेश	11
2	असम	91
3	मणिपुर	99
4	मेघालय	58
5	मिजोरम	67
6	नागालैंड	62
7	सिक्किम	28
8	त्रिपुरा	40

अनुलग्नक-II

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाल देखरेख केंद्र' के संबंध में डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा द्वारा दिनांक 24.07.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1147 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी की गई राशि**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी की गई राशि**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी की गई राशि**	**वित्तीय वर्ष 2026-27 में जारी की गई राशि (21.07.2026 तक)**
1	अरुणाचल प्रदेश	24.35	5.32	7.74	0.98
2	असम	59.66	31.39	29.61	6.18
3	मणिपुर	29.24	68.15	34.36	2.75
4	मेघालय	31.28	22.30	42.75	6.04
5	मिजोरम	53.09	37.06	33.65	2.34
6	नागालैंड	29.28	33.92	25.66	1.91
7	सिक्किम	5.80	16.21	8.51	0.88
8	त्रिपुरा	32.09	19.23	18.11	1.38
